CANCELLED. CANCELLED

I/निगरानी/दमोह/भू०रा/2018/0998

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

1— जागेश्वर तनय रामदयाल पटैल

2— रामकुमार तनय मिटठूलाल पटैल

सभी निबासी ग्राम खिरिया, तहसील व जिला दमोह म0प्र0

................आवेदकगण

वनाम

1— संदीप असाटी तनय पूरन असाटी,

निबासी— सिविल वार्ड नं0 02 इंद्रिरा कालोनी, तहसील व जिला दमोह म0प्र0

2— राजस्व निरीक्षक मंडल दमोह जिला दमोह म0प्र0

................अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदक यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल दमोह 01, जिला दमोह द्वारा प्र0क0 09अ/12/2014—15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 19/02/2015 एवं संपूर्ण सीमांकन प्रकिया से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जिसके साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, रिस्पॉ0 कमांक एक द्वारा ग्राम खिरिया स्थित खसरा नंबर 488/1, 488/3 रकवा 0.29 एवं 0.23 हैक्टेयर के सीमांकन बावद आवेदन पत्र प्रस्तुत करके अनावेदक कमांक 02 से कराया, अनावेदक कमांक 02 द्वारा बगैर सीमांत कृषकों को सूचनापत्र जारी किये एवं आवेदकगण को भी सूचनापत्र जारी किये बगैर ही दिनांक 12/12/2014 का सीमांकन दिखाकर आवेदकगण का

28

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2018/998 जागेश्वर विरूद्ध संदीप

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल दमोह के प्रकरण क्रमांक 09/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 19-02-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 4.1.19 सदस्य	